भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3103

दिनांक 04.08.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाइपयुक्त जलापूर्ति

3103. श्री दुष्यंत चौटालाः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्ष 2022 तक कम से कम 90 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पाइप द्वारा जलापूर्ति करने के लिए किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एशियाई विकास बैंक एवं विश्व बैंक सहित बाहरी वित्तपोषण एजेन्सी से वित्त की भी मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) जी, हाँ। 2011-2022 अवधि के लिए ग्रामीण पेयजल सेक्टर हेतु मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रणनीतिक योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। वर्ष 2017 तक अंतरिम लक्ष्य है सभी ग्रामीण परिवारों के 50 प्रतिशत को नल जल आपूर्ति से कवर करना । वर्ष 2022 तक, 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति से कवर करने का लक्ष्य है।

(ख) चूँकि ग्रामीण पेयजलापूर्ति स्कीमों की कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य सरकारे हैं; इसलिए मंत्रालय एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक सहित बाह्य वित्त प्रदायी संस्थाओं से बाह्य वित्तपोषण प्रत्यक्ष रूप से नहीं मांगता है। तथापि, ऐसी संस्थाओं से बाह्य सहायता मांगने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की जांच इस मंत्रालय द्वारा की जाती है और सहायता हेतु आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय को अनुशंसा की जाती है जिसे प्राधिकार है कि वह ऐसी परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायता हेतु प्रस्तुत करें।

(ग) इस मंत्रालय में प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का ब्यौरा और अनुवर्ती कार्रवाई अनुलग्नक में दी गई है।

अनुलग्नक

इस मंत्रालय के जांच चरण में बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	**राज्य**	**परियोजना**	**वित्त प्रदायी एजेंसियां**	**परियोजना लागत**		**अनुवर्ती कार्रवाई**
				परियोजनाकाकुल वित्तीय परिव्यय	मांगी गई कुल बाह्य सहायता	
1.क	उत्तराखंड	उत्तराखंड ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना-II	विश्व बैंक	1800 करोड़ रु.	1613.28 करोड़ रु.	विश्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है।
1.ख	उत्तराखंड	उत्तराखंड ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	एनडीबी / एआईआईबी	1046.75 करोड़ रु.	1046.75 करोड़ रु.	उत्तराखंड सरकार ने एनडीबी (बीआरआईसीएस) वित्तपोषण का अनुरोध किया है। अनुवीक्षण समिति ने परियोजना को आस्थगित करने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार को निदेश दिया है कि वे इसे न्यू डवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से वित्तपोषित करने हेतु अपनी इच्छा की पुष्टि करें।
2.क	मध्य प्रदेश	बहुल ग्राम ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	जेआईसीए	2200 करोड़ रु.		जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक (जेआईसीए) से बातचीत चल रही है।
2.ख	मध्य प्रदेश	बहुल ग्राम ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	एनडीबी	4500.00 करोड़ रु.	3150.00 करोड़ रु.	दिनांक 06.04.2016 को जारी डीईए मानदण्डों के अनुपालन हेतु एसजी को पत्र। राज्य सरकारने संशोधन परियोजना प्रस्ताव दिनांक 04.05.2016 के पत्र द्वारा भेज दिया है। संशोधित परियोजना प्रस्ताव के अवलोकन के बाद मंत्रालय के दिनांक 24.05.2016 के पत्र द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से कहा गया है कि वे इस मंत्रालय की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दें।
3.क	अरुणाचल प्रदेश	1340 ग्रामीण बसावटों को सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था	एनडीबी / एआईआईबी	926.07 करोड़ रु.	926.07 करोड़ रु.	**यह सुझाव दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य वित्तीय विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन स्कीमों को आरंभ करने के लिए**

						एनडीबी/एआईआईबी/विश्व बैंक आदि से बाह्य वित्तपोषण प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकती है।
3.ख	अरुणाचल प्रदेश	49 ग्रामीण प्रशासनिक मुख्यालयों को पेयजल एवं जल निकास से कवर करने का प्रस्ताव	जेआईसीए	583.86 करोड़	583.86 करोड़	ऋण निरंतरता प्रमाण पत्र और डीईए के मानदण्डों के अनुसार केंद्र/राज्य निधियन पैटर्न की स्वीकृति की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकार को एक पत्र जारी किया गया है।
4.	सिक्किम	बहुल ग्राम ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	एनडीबी / एआईआईबी	1200 करोड़ रु. (187 मिलियन अमरीकी डॉलर)	168 मिलियन अमरीकी डॉलर	डीईए अनुवीक्षण समिति ने प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है क्योंकि सिक्किम सरकार का कोई प्रतिनिध बैठक में उपस्थित नहीं था। यद्यपि यह मंत्रालय उक्त प्रस्ताव की प्रति व्यक्ति लागत की राज्य तकनीकी एजेंसी द्वारा समीक्षा/मान्यकरण की शर्त के अधीन प्रस्ताव का समर्थन करता है। इसके बारे में इस मंत्रालय के दिनांक 22.01.2016 के पत्र द्वारा डीईए को संसूचित कर दिया गया है।
5.क	तेलंगाना	तेलंगाना पेयजल आपूर्ति परियोजना	एनडीबी / एआईआईबी	36355.69 करोड़ रु.	19000 रु.	अनुवीक्षण समिति ने कंसेप्ट नोट, आवश्यक शेष निधियन और ऋण निरंतरता प्रमाण पत्र की शर्त के अधीन 19000 करोड़ की परियोजना को एआईआईबी के समक्ष रखने का निर्णयलिया।
5.ख	तेलंगाना	तेलंगाना पेयजल आपूर्ति परियोजना (मिशन भागीरथ)	एआईआईबी	6158.00 करोड़ रु.	4310.00 करोड़ रु.	तेलंगाना सरकार ने दिनांक 24.07.2016 को पत्र द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।
6क	हिमाचल प्रदेश	तीन स्कीमों की संख्या	जेआईसीए और एनडीबी / एआईआईबी	388.43 करोड़ रु.	388.43 करोड़ रु.	इस संबंध में परियोजना की व्यवहार्यता एवं नीति आयोग की टिप्पणी पर राज्य सरकार के उत्तर पर विचार-विमर्श करने के लिए एमडीडब्ल्यूएस में 13.07.2016 को एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि अनुवीक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त होने के बाद डीईए को वास्तविक वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत करा देना चाहिए। यह कार्यवृत्त डीईए से अभी भी प्रतीक्षित है।

6.ख	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शेष बचे/आंशिक रूप से कवर्ड बसावटों को जल सुविधा प्रदान करने हेतु	एनडीबी / एआईआईबी	3330 करोड़ रु.	3330 करोड़	राज्य तकनीकी एजेंसी को परियोजना प्रस्ताव की प्रति व्यक्ति लागत की समीक्षा/मान्यकरण करना है। इसके बारे में राज्य सरकार को संसूचित कर दिया गया है।
7.	ओडिशा	मेगा नल जल आपूर्ति परियोजना (एमपीडब्ल्यूएस)	**एनडीबी**	8500रु.	कुल परियोजना लागत का 70%	दिनांक 02.09.2016 को 52वीं अनुवीक्षण समिति में, डीईए ने संशोधित प्रस्ताव भेजने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया और इस संशोधित प्रस्ताव को प्रस्तावित परियोजनाओं की डीपीआर का उपलब्धता, राज्य सरकार द्वारा 30% का काउंटर पार्ट निधियन और एमपीडब्ल्यूएस परियोजना के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों/निष्कार्षों की शर्त के अधीन एनडीबी वित्तपोषण हेतु रखा जाएगा।
8.	मेघालय	पेयजल एवं मूलभूत स्वच्छता सुविधा प्रदान करना	जेआईसीए	6318.53 करोड़	6318.53 करोड़	परियोजना की सहमति हेतु राज्य योजना/वित्त विभाग की सहमति के लिए राज्य सरकार ने दिनांक 28.10.2015 को राज्य सरकार को एक पत्र जारी किया और अनुरोध किया कि अन्य जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सदृश स्कीमों की नॉन डुप्लिकेशन प्रमाण पत्र के साथ इसे अग्रेषित करें।
9.	राजस्थान	बहुल ग्राम पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	एनडीबी / एआईआईबी	33930 करोड़ रु.	33930 करोड़ रु.	अनुवीक्षण समिति फेसिंग/क्लबिंग, डीईए को डीपीआर प्रस्तुत करने, ऋण निरंतरता प्रमाण पत्र एवं परियोजना पर एमडीडब्ल्यूएस के निष्कार्ष की प्राप्ति की शर्त के अधीन यह परियोजना एनडीबी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसके बारे में राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।
10.	कर्नाटक	बहुल ग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना	एनडीबी / एआईआईबी	3193.15 करोड़ रु.	2714.18 करोड़ रु.	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे कवरेज स्थिति रिपोर्ट, राज्य योजना एवं वित्त विभाग से सिद्धांतत: अनापत्ति और नॉन-डुप्लिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

11.	महाराष्ट्र	छह स्कीमों की संख्या	एनडीबी / एआईआईबी	595.55 करोड़	595.55 करोड़	दिनांक 16.02.2016 को एक पत्र डीईए, एमओएफ को जारी किया गया जिसके साथ राज्य से प्राप्त प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव (पीपीपी) बीआरआईसीएस/एआईआईबी के लिए अग्रेषित कियागया और परियोजना प्रस्ताव पर इस मंत्रालय की टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को डाक द्वारा 13.05.2016 को एक पत्र भेजा गया।
12.	पश्चिमी बंगाल	चार स्कीमों की संख्या	एडीबी	2064.37 करोड़	2064.37 करोड़	डीईए ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और इसके बारे में मंत्रालय के दिनांक 27.05.2016 के पत्र द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार को संसूचित कर दिया गया और अनुरोध किया गया कि वे डीईए द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुपालन में परियोजना प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करें। पश्चिमी बंगाल सरकार ने परियोजना प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत कर दिया है और मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है।
13.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना	एनडीबी / एआईआईबी	6230.00 करोड़ रु.	4361.00 करोड़ रु.	परियोजना प्रस्ताव की इस मंत्रालय में जांच की गई और दिनांक 13.05.2016 के पत्र द्वारा राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इस मंत्रालय की टिप्पणी के अनुसार परियोजना प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करें।